भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 230
दिनांक 27 नवम्बर, 2024/ 6 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों में तनाव

230 डा. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तमिलनाडु राज्य पुलिस ने अपने अधिकारियों और उनके परिवारों के तनाव के स्तर को कम करने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हांस) के साथ मिलकर पहले ही प्रयास शुरु कर दिए हैं, यह सुझाव दिया है कि सभी राज्य सरकारें और केन्द्रीय सुरक्षा बल राज्य पुलिस और केन्द्रीय सुरक्षा कर्मियों में तनाव को कम करने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हांस) के साथ मिलकर कार्य करें, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) मंत्रालय ने विभिन्न केन्द्रीय सुरक्षा बलों में आत्महत्या के मामलों को कम करने के लिए आज तक क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) ने 2022 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के माध्यम से "केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में क्षयण और आत्महत्या के मामलों का तुलनात्मक विश्लेषण और सुधारात्मक उपाय" पर एक शोध अध्ययन पूरा किया। अनुसंधान अध्ययन की रिपोर्ट सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों / सीएपीएफ / केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) के साथ साझा की गई। रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित का ज़िक्र है:

दिनांक 27.11.2024 के लिए राज्य सभा अ. ता. प्र. सं. 230

(i) मानसिक कल्याण सुनिश्चित करना;

(ii) नौकरी, सेवा की स्थिति और कल्याण को मजबूत करना;

(iii) संचार, हिमायत और आउटरीच; तथा

(iv) अंतःक्रियात्मक अवसर।

कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ किए गए उपायों में शामिल हैं:

(i) स्थानांतरण और छुट्टी के लिए पारदर्शी नीतियां हैं। किसी कार्मिक द्वारा कठिन क्षेत्र में सेवा करने के पश्चात यथासंभव उसकी पसंदीदा तैनाती पर विचार किया जाता है। ड्यूटी के दौरान घायल होने के कारण अस्पताल में बितायी गई अवधि ड्यूटी की अवधि मानी जाती है।

(ii) अधिकारियों द्वारा सैनिकों की शिकायतों का पता लगाने और उनका निराकरण करने के लिए नियमित संवाद।

(iii) कार्य के घंटों को नियंत्रित करके पर्याप्त आराम एवं राहत सुनिश्चित करना।

(iv) सैनिकों के रहन-सहन की दशाओं में सुधार करना, उन्हें पर्याप्त मनोविनोद/ मनोरंजन, खेल, संचार की सुविधाएं आदि प्रदान करना। महिला कर्मचारियों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों में क्रेच सुविधा (जहां भी व्यवहार्य हो) भी प्रदान की जाती है।

(v) पूर्वोत्तर के राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर और लदाख और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में तैनाती के दौरान पिछली तैनाती वाले स्थान पर (परिवार को रखने के लिए) सरकारी आवास को अपने पास रखने की सुविधा।

(vi) बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना तथा साथ ही उनकी व्यक्तिगत एवं मनो-वैज्ञानिक चिंताओं के निवारण के लिए विशेषज्ञों के साथ बातचीत का आयोजन करना और तनाव के बेहतर प्रबंधन के लिए नियमित रूप से ध्यान एवं योग का आयोजन करना।

(vii) कठिन क्षेत्रों में तैनात टुकड़ियों को पर्याप्त प्रतिपूर्ति प्रदान करना।

दिनांक 27.11.2024 के लिए राज्य सभा अ. ता. प्र. सं. 230

(viii) अन्य कल्याणकारी उपाय, जैसे कि केन्द्रीय पुलिस कल्याण भंडार (केपीकेबी) की सुविधा, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति आदि। पूर्वोत्तर के राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर तथा एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में तैनात कार्मिकों को हवाई कोरियर सेवा भी उपलब्ध कराई गई है।

(ix) बेहतर पहचान तथा समाज में सम्मान देने के लिए सेवानिवृत्त हुए सीएपीएफ कार्मिकों को पूर्व-सीएपीएफ कार्मिक का नाम देना।

(x) कार्मिकों के तनाव के स्तर को कम करने के लिए, "जीने की कला" पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका जवानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

(xi) जब कभी रिक्तियां उत्पन्न होती हैं, तब पात्र कार्मिकों को नियमित रूप से पदोन्नति दी जाती है। रिक्तियों के अभाव में पदोन्नति न होने की स्थिति में 10, 20 और 30 वर्षों की सेवा पूरी होने पर मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (एमएसीपी) के तहत वित्तीय लाभ प्रदान किए जाते हैं।

******